निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 39 / 2024
दायरा दिनांकः—07.05.2024
निर्णय दिनांकः— 28.4.25

उनवान

1. रामचरण आयु 74 वर्ष पुत्र रामकल्याण जाति धाकड निवासी ग्राम मूंडला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 19,88,89,90,91,आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः—28.4.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री अब्दुल हसीब आलम — प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,19,88,89,90,91 आर0टी0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया है कि वादी के वर्तमान खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 136 की खसरा नंबर 1 रकबा 0.7335 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मूंडला तहसील छबड़ा में स्थित है। वादी को यह भूमि अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई थी। संवत् 2015—18 की जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त आराजी, जो पूर्व में खसरा नंबर 1 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम मूंडला मु० द्रोपतीबाई बेवा दरवारीलाल जाति कायस्थ निवासी टोंक के नाम दर्ज थी, परंतु उक्त भूमि पर उपकृषक के रूप में वादी के पिता कल्याण उर्फ रामकल्याण आत्मज मूलचंद जाति धाकड़ निवासी मूंडला के नाम दर्ज थी और उन्हीं का कब्जा काश्त चला आ रहा था। बाद में यह भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण कर ली गई थी एवं खाते से मु० द्रोपतीबाई का नाम हटा दिया था एवं खातेदारी के रूप में कल्याण का नाम चलता रहा। कल्याण की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि वादी के खाते दर्ज हुई। वादी ने अपने खाते व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 1 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा वाके माल मूंडला तहसील छबड़ा में से 08 बीघा का विकय जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा द्रोपतीबाई पत्नी बाबूलाल को कर दिया है। इस प्रकार अब वादी के पास 02 बीघा 18 बिस्वा अर्थात 0.7335 हैक्टेयर भूमि ही शेष रहती है। जिसके संबंध में यादी ने उपरोक्त उनवानी वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया है। संवत् 2015—18 की जमाबंदी के अनुसार भूमि खसरा नंबर 1 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा वाके माल मूंडला तहसील छबड़ा, जो मु० द्रोपतीबाई के नाम बतौर खाते दर्ज थी, परंतु उक्त भूमि माफी की होने के कारण जमाबंदी में माफी रिज्यूमेशन चलता रहा। जबकि राज्य सरकार द्वारा भूमि

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा ( )

अधिग्रहण के पश्चात माफी भूमि का अंकन जमाबंदी में से हटना था। क्योंकि संवत् 2023 से 26 की जमाबंदी के अनुसार खाता सरकार हो गया एवं माफी का कोई महत्व नहीं रह गया। क्योंकि भूमिधारी राजस्थान सरकार होती है और वही काबिज व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करती है। परंतु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण भूमि से माफी रिज्यूमेशन शब्द हटने से रह गया है और खाते में अभी तक अनुचित रूप से चल रहा है। जिसे वादी हटवाने का अधिकारी है। खसरा नंबर 1 रकबा 0.7335 हैक्टेयर वाके माल मूंडला पर वादी के नाम के आगे राजस्व अभिलेख जमाबंदी में भूमियात रिज्यूमेशन अंकित हो रहा है, जिसके कारण वादी को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई सरकारी कर्मचारी वादी को खातेदार कृषक नहीं मानते है। जबकि वादी कानूनी रूप से वादग्रस्त भूमि का खातेदार कृषक है। खाते पर भूमियात एवं रिज्यूमेशन का अंकन होने से वादी को अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ता है। कई व्यक्ति उसका अनुचित अर्थ निकालते हैं। पूर्व में वादी की भूमि बैंक में बंधक भी रही है। बाद में रहन से मुक्त भी करवाया है तथा 08 बीघा भूमि का विक्रय भी किया है। वादी को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। वाद कारण अंतिम रूप से दिनांक 15.04.2024 को उत्पन्न हुआ, जब वादी ने प्रतिवादी से निवेदन किया कि मेरे खाते से माफियात रिज्यूमेशन हटाए तो प्रतिवादी ने वाद प्रस्तुत करने को कहा। भूमिधारी राजस्थान सरकार होने के कारण उपरोक्त वाद पत्र में राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा को पक्षकार बनाया गया है तथा वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी०पी०सी० का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परंतु वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण धारा 80(2) सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र के साथ वाद प्रस्तुत है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब रिपोर्ट प्राप्त हुई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 136 नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 123 नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत 2064–67 खाता संख्या 114 नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत 2060–63 खाता संख्या 108 नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत 2072–75 खाता संख्या 136 नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत 2057–59 खाता संख्या 118 नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत 2052–55 खाता संख्या 109 नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत 2048–51 खाता संख्या 116 नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत 2044–47 खाता संख्या 111 नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत 2039–42 खाता संख्या 94 नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत 2035–38 खाता संख्या 93 नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत 2031–34 खाता 93 नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत 2027–30 खाता संख्या 67 नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत 2023–2026 खाता संख्या 64 नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत 2019–22 खाता संख्या 70 नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत 2015–18 खाता संख्या 70 पेश की गई।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कि विवादित आराजी वाके ग्राम मूण्डला तहसील छबडा में स्थित है। वादी को विवादित आराजी अपने पिता से विरासत में मिली थी। उक्त भूमि सम्वत् 2015–18 में द्रोपती बाई बेवा द्वारकीलाल निवासी टोंक के नाम दर्ज थी। परन्तु उपकृषक कल्याण उर्फ रामकल्याण पुत्र मूलचन्द के नाम दर्ज थी। तथा उन्ही का कब्जा काश्त चला आ रहा है वाद में इस भूमि से द्रोपती बाई कका नाम हटा दिया एवं खातेदारी के रूप में कल्याण का नाम चलता रहा। कल्याण की मृत्यु के बाद वादी खाते दर्ज हुई। वादी ने अपने खाते की भूमि में से 8 बीघा भूमि का विक्रय जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से द्रोपती बाई पत्नि बाबूलाल को कर दिया वादी के पास 2. 18 बीघा भूमि शेष है वादी के खाते में वादी के नाम के साथ माफी रिज्यूमशन दर्ज चला आ रहा है राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के पश्चात् माफी का अंकन जमाबन्दी में से हटाना था। क्योंकि सम्वत् 2023–26 के अनुसार खाता सरकार हो गया था ओर माफी का कोई महत्व नही रहा। भूमिधारी राजस्थान सरकार होती है और वही काबिज व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करती है परन्तु भूमि से रिज्यूमशन नही हटाया। वादी के नाम के साथ रिज्यूमशन अंकित हो रहा है जिसके कारण वादी को असुविधाओं का सामना करना पड रहा है वादी अभिभाषक ने जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आर0टी0एक्ट की धारा 15 का उद्देश्य करतें हुए निवेदन किया कि प्रार्थी विधिक खातेदार कृषक है वादी के खाते से रिज्यूमशन हटाया जाना अति आवश्यक है वादी का वाद स्वीकार किया जावें।

तहसीलदार छबडा से इसके सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम मूण्डला तहसील छबडा की वर्तमान खाता संख्या 136 खसरा नम्बर 1 रकबा 0.7335 है0 भूमि रामचरण पुत्र रामकल्याण हिस्सा पूर्ण जाति धाकड सा0देह माफियात रिज्यूमशन दर्ज है गत राजस्व रिकार्ड से उक्त खसरा नम्बर की जॉच की गई खतोनी बन्दोबस्त में माफियात शब्द दर्ज था जो निरन्तर आदिनांक तक दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है उक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है जो कई वर्षो से चला आ रहा है खाते में माफियात रिज्यूमशन दर्ज होने से किसी भी प्रकार के नामान्तरकरण दर्ज नही हो पा रहे है। उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है उक्त भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रमाणित नही है SC/ST का अन्य को बेचान नही हुआ है भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है खातेदारी के हित में उक्त आराजी से नियमानुसार माफी रिज्युमशन हटाया जाना उचित होगा।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 136 में खातेदार वादी रामचरण पुत्र रामकल्याण जाति धाकड सा0देह के नाम के साथ माफियात रिज्यूमशन दर्ज रिकार्ड है। वादी के खाते में रिज्यूमशन दर्ज होने से वादीगण को काई प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड रहा है खातेदार रामचरण पुत्र रामकल्याण द्वारा अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 10.18 बीघा में से 8 बीघा भूमि का बेचान भूमि का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से द्रोपती बाई पत्नि बाबूलाल को कर दिया था। सम्वत् 2015 से 2079 तक उक्त आराजी का कृषक द्वारा लगातार बेचान/हस्तान्तरण हुआ है अर्थात् उक्त भूमि का माफियात रिज्यूमशन में दर्ज खातेदार के द्वारा विधिक

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बेचान/हस्तान्तरण हुआ है एवं इसी आधार पर नामान्तरण दर्ज हुए है परन्तु वर्तमान में नामान्तरण की प्रक्रिया ऑनलाईन होने के कारण नामान्तरण खोलने की एवं अन्य समस्या आ रही है एवं रिकार्ड दुरूस्त नही हो पा रहा है राजस्व रिकार्ड में माफियात रिज्यूमशन दर्ज होने के कारण वादी को अत्यधिक असुविधाओं का सामना करना पड रहा है।

इस वाद को निर्णित करने हेतु यहां जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आ0टी0एक्ट की धारा 15 विचारणीय है :-

जागीरदारी एक्ट की धारा-9 :- "जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार,पट्टेदार,खादिमदार के रूप में या की अन्य रूप में जिसमें यहां अन्तहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवंशिक और पूर्ण अन्त के अधिकार प्राप्त है,दर्ज है। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा "

आ0टी0एक्ट की धारा-15 :- प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी के अलावा अन्य प्रकार का आसामी हो या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 101 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन तथा उनके अनुसरण में भूमि का आवंटिती के अतिरिक्त आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया जाय अथवा जो इस अधिनियम के या राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिज्युमशन ऑफ जागीर्स एक्ट 1952 (राज. एक्ट 6, सन् 1952) के अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में भूमि खातेदारी अधिकार अर्जित करता है खातेदार आसामी होगा, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा आरोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा।

उपरोक्त के क्रम में ,इस प्रकरण में वादी पूर्व में खातेदार था तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादी का लगातार कब्जा काश्त रहा है। तथा माफी रिज्यूम होने से वादी को किसी प्रकार का ऋण आदि का लाभ नही मिल पा रहा है जिससें वादी को समस्याओं का सामना करना पड रहा है। अतः जमाबन्दी से माफी रिज्युमशन हटाया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम मूण्डला तहसील छबडा के खाता संख्या 136 के खसरा नम्बर 1 रकबा 0.7335 है0 भूमि में वादी के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

द संख्या 39 / 2024	धारा ,19,88,89,90,91 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः— 28.04.2024
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः—श्री अब्दुल हसीब आलम	अभिभाषक प्रतिवादीः—	

वाद शीर्षक

उनवान

1. रामचरण आयु 74 वर्ष पुत्र रामकल्याण जाति धाकड निवासी ग्राम मूंडला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम मूण्डला तहसील छबडा के खाता संख्या 136 के खसरा नम्बर 1 रकबा 0.7335 है0 भूमि में वादी के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 28.04.2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		